Ex.P.-465

कथन – राजकुमार अग्रवाल

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध क्रमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	राजकुमार अग्रवाल पिता स्व. रामनारायण अग्रवाल
उम्र	–	59 वर्ष
पता	–	पुराना पावर हॉउस के पास, तोरबा जिला बिलासपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	93003–21500
व्यवसाय	–	संचालक, श्री हनुमान राईस मिल, तोरबा जिला बिलासपुर (छ0ग0)

—00—

मैं राजकुमार अग्रवाल पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं श्री हनुमान राईस मिल, तोरबा में स्थित राईस मिल का संचालक हूं। मेरे राईस मिल की क्षमता 02 टन प्रति घंटा की है। वर्ष 2013–14 में 72 हजार क्विंटल धान के कस्टम मिलिंग का अनुबंध मार्कफेड के साथ हुआ था अनुबंध के विरूद्ध मेरे द्वारा 50 हजार क्विंटल धान का उठाव किया गया गया, इसके विरूद्ध मेरे द्वारा 33 हजार क्विंटल चावल माह दिसम्बर 2014 तक नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराया गया था, इस दौरान करीब 04–05 लॉट चावल रिजेक्ट हुआ था। वर्ष 2014–15 में अनुबंध 48 हजार क्विंटल धान का है इसमें से 16 हजार क्विंटल करीब धान का उठाव कर लिये है तथा करीब 10 हजार क्विंटल चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा कराया गया है, इस दौरान करीब 2–3 लॉट चावल रिजेक्ट हुआ है। गोदाम में चावल अनलोडिंग तथा स्टेकिंग के लिये हमालों को 3300रू. प्रति लॉट की दर से उनके मुखिया को भुगतान किया जाता है। बिलासपुर में जिला प्रबंधक फरवरी के पहले तक के.के. यदु थे। बिलासपुर नान के गोदामों में स्पेश की समस्या बनी रहती है। मैं बिलासपुर में राईस मिल एसोसियेशन का अध्यक्ष हूं, इस नाते नान के अधिकारी/कर्मचारी मुझसे पैसे की मांग नहीं करते है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 08.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ